गृह मंत्रालय
पूर्वोत्तर प्रभाग
***

पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास

यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II - 'राज्य सूची' की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अंशाति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाई जाए। इन दायित्वों के अनुसरण में गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा स्थिति की निरंतर निगरानी करता है और सुरक्षा, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

2. मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को निम्नानुसार विशेष सहायता प्रदान की है:-

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रमांक	योजनाएं	स्वीकृत राशि	28.08.2024 तक जारी की गई राशि
1	मणिपुर राज्य में हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के लिए राहत शिविरों के संचालन के लिए एकमुश्त विशेष सहायता	101.75	101.75
2	मणिपुर सरकार में कानून और व्यवस्था में व्यवधान से प्रभावित पीड़ितों/व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास की योजनाएं चलाने के लिए विशेष पैकेज।	209.45	119.08
3	राहत शिविरों में रह रहे लोगों को पूरक पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता सहायता के लिए योजना।	89.22	44.60
	कुल=	**400.42**	**265.43**

*****